मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2017 (श्रावण 3, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 3366/एफ-5-6/2016/तेरह, दिनांक 27 मई, 2017,

(ख) क्रमांक 3367/एफ-5-6/2016/तेरह, दिनांक 27 मई, 2017, तथा

(ग) क्रमांक एफ 3-25-2017-तेरह, दिनांक 09 जून, 2017,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री मधु भगत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खैरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलाल रौतेल, फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले में खनिज आधारित उद्योगों को अनुमति न दिये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री के.डी. देशमुख, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, कृषि विकास समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के -
- (क) ग्राम रसेना के शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ख) केसली विकासखण्ड के किशनपुर जलाशय की नहर को मरामाधौ की ओर से निकलवाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम गौरझामर से मढ़ी जमुनिया मार्ग पर वृहद पुल का निर्माण किये जाने,

(2) श्री वीरसिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम केथोरा से ग्राम चादौली तक रोड बनाये जाने,

(3) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
- (क) ग्राम आखीवाड़ा एवं अन्य ग्रामों में ऊमर नदी से हो रहे कटाव को रोकने,
- (ख) ग्राम बुढ़ैना के पास कुढ़ारी में माछारेवा नदी पर बांध का निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम मुशरान पिपरिया से सगरा एवं अन्य ग्रामों में डामरीकृत सड़क का निर्माण किये जाने,

(4) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के -
- (क) ग्राम डूंगा महगवां से मलारा एवं तिलहरी तक रोड निर्माण करने,
- (ख) बरेला से पड़वार लिंक रोड को डामरीकरण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम पहरहा टोला से कसही तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(5) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के -
- (क) ग्राम ढुटेरा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम सरेखाकला में सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,

(6) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम लखनपुर से पिंडरई तक रोड निर्माण कराये जाने,

(7) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम रामपुरिया से गोरधनपुरा एवं अन्य ग्रामों में पड़ने वाली नदियों पर पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) मेडिकल कॉलेज खोले जाने,

(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
- (क) ग्राम बहरी झोंरी में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम अहिरगवां में बड़े देव के पास बांध का निर्माण स्वीकृत किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम शीतल पानी के खोदरा टोला में बांध का निर्माण किये जाने,

(9) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के -
- (क) ग्राम हनुमना एवं पिपराही में 33/11 के.व्ही. का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने, तथा
- (ख) सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

(10) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम तिलहां में लड़याऊ नदी पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण कराये जाने,
(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खरीला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खेले जाने,
(12) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम बघपुरा से मऊखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,तथा
(ख) ग्राम देवगढ़ की बहु मंजिला भवनों की सुरक्षा हेतु दीवार बनाये जाने,
(13) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम भुगवारा से गिधवानी को जोड़ने वाली कच्ची सड़क बनाये जाने,
(14) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के -
(क) ग्राम खजूरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्षों एवं नवीन भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम रसूलपुरा में पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(15) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के -
(क) ग्राम गुलबालौद में शासकीय हाईस्कूल के भवन के निर्माण की राशि स्वीकृत किये जाने,तथा
(ख) ग्राम तालोद में शासकीय हाईस्कूल के भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(16) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम अरण्डिया, डोगंरिया एवं ठेमा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम शेरपार से खरपड़िया तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(17) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) अवध कुण्ड को तथा ग्राम धवारी के धंधा गिरी पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने, तथा
(ख) ग्राम सिंहपुर से गोविन्दपुर तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(18) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -
(क) ग्राम सोईकलां से मातासूला तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने,तथा
(ख) ग्राम धीरोली में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण किये जाने,
(19) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम डुगरिया से पनागर तक सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम सिंहपुर छोटा से तेंदूखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,
(20) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सुखरास में नाले पर पुल का निर्माण किये जाने,
(21) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के -
(क) ग्राम चमाटी से आबूद तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम देशगांव से सेहजला मार्ग का डामरीकरण स्वीकृत कर निर्माण किये जाने,
(22) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम हरई से ठुटी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डामरीकृत मार्ग बनाये जाने,
(ख) ग्राम इमलिया से जैथारी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डामरीकृत मार्ग बनाये जाने, तथा
(ग) ग्राम सागोनी एवं तेंदूखेड़ा के बीच धूधरा नाला पर रपटा निर्माण किये जाने,
(23) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -
(क) ग्राम गसवानी के हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) विजयपुर के प्रमुख मार्ग गोरस-धोबिनी का नवीनीकरण किये जाने,
(24) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम मधुसूदनगढ़ में भोपाल रोड से लटेरी तक बायपास रोड बनाये जाने,
(25) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम गंजेसर्रा के झुराटोला से सोनटोला तक सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम छपरवाही टन्टाटोला हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(26) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) ग्राम बैदार से गढ़ीमलहरा एवं अन्य को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सम्मिलित कर निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम कराठा, पपटुआ एवं अन्य ग्रामों में पुलिया का निर्माण किये जाने,
(27) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के -
(क) ग्राम बोथिया डेम एवं छांटा नाला पर पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम गोरखपुर के बिछुआ घाट की कटिंग कराये जाने,
(28) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के -
(क) ग्राम बरूड़ के कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल से अस्पताल तक के पहुंच मार्ग पर विद्युत लाईट लगाये जाने, तथा
(ख) ग्राम बरूड़ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के –
(क) ग्राम खिरसाडोह से देवरी ढाना तक रोड का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम जमुनिया जेठू से मानकादेही तक रोड का निर्माण किये जाने,
(30) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) तुलसीपुरा तालाब से ग्राम हांसरोद की नहर का सीमेन्ट कांक्रीटीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम मोरीखों से सालरियाखेड़ी मार्ग स्थित नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम बेरियाखेडी के बाहर स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,
(31) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम उमरी में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण किये जाने,
(32) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले में -
(क) तहसील कार्यालय भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने, तथा
(ख) पशुचिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने,
(33) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम रामपुर की शासकीय माध्यमिक शाला को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम देवास से पहरखा तक रोड की मरम्मत किये जाने, तथा
(ग) ग्राम मनगवां में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
(34) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के -
(क) ग्राम बड़ागांव के शासकीय माध्यमिक शाला को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम चिरोजा में हाईस्कूल भवन का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम पिपरौदा के शासकीय माध्यमिक शाला में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(35) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के -
(क) ग्राम सिघार में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मुख्यालय चितरंगी में किये जाने, तथा
(ग) ग्राम कुलकवार शैरी टोला के मध्य नाले पर पुल का निर्माण किये जाने,
(36) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के -
(क) मनासा कृषि उपज मण्डी गेट से थाना मनासा तक मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम पंचदेवरा करमदी तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(37) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के -
(क) ग्राम जूनापानी में सहकारिता संस्था खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम मानपुरा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,
(38) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के -
(क) ग्राम बनसुकली में नवीन महाविद्यालय खोले जाने, तथा
(ख) बोड्डिया बनासी के बीच पुलिया का निर्माण किये जाने,
(39) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
(क) ग्राम बम्हनी कनई खोदरा में नवीन जलाशय का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम छिल्पा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(40) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कहारपुरा एवं अन्य ग्रामों में विद्युत व्यवस्था किये जाने,
(41) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम पंचायत बरतरा में नवीन पानी की टंकी बनाये जाने,
(ख) ग्राम सिमरा में चहला जलाशय से नहर का विस्तारीकरण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम रूडमूड से बड़ागांव तक सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
(42) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने,
(43) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के -
(क) ग्राम खेड़ाखजूरिया से मकला फण्टा तक व्हाया निपानियाराजू, गेलाखेड़ी, झारड़ा दो लेन रोड बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम गेलाखेड़ी एवं छज्जूखेड़ी के बीच कांकड़ पर 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने,
(44) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के -
(क) ग्राम नालछा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत कर प्रारंभ किये जाने, तथा
(ख) ग्राम कछवानिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(45) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम दुआरी में कानूनगो मुख्यालय का भवन बनाये जाने,
(46) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -
(क) ग्राम बिलकीसगंज के सामुदायिक अस्पताल में बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने, तथा
(ख) उमरखाल तालाब की नहरों को पक्का बनाये जाने,
(47) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम कुसमानिया से किटीया तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(48) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सतरिया में नवीन हाईस्कूल खोले जाने,
(49) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के –
(क) ईशानगर में शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम पनागर से अलगना तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(50) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वीरसिंहपुरा से तरीचरखुर्द मार्ग पर एवं जमुनियां से झांसी यू.पी. मार्ग पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(51) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम पगरियाराम एवं गवांरखेड़ा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,
(52) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के आमला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने,
(53) श्री दिलीपसिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के उप नगर बधाना में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(54) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम इकोदिया से अहिरवार चक्क तक डामरीकरण सड़क बनाये जाने,
(55) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम झलौन एवं सिंगपुर में विद्यालय भवन स्वीकृत किये जाने,
(56) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम जाबडिया भील में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:).

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) का * पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 जुलाई, 2017

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**